... व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.- 2
डब्ल्यू. पी./505/98.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 1998—आषाढ़ 26, शक 1920

भाग 2

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

स्थानीय शासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1998

क्र. 34-1893-अठारह-तीन-98.--मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ड सहपठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-ए, 339-ख, 339-ग एवं 339-ड सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

1. नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (ग) की वर्तमान प्रविष्टि के आगे निम्न वाक्य जोड़ा जावे, "और इसमें सम्मिलित होगा नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा घोषित ऐसा प्लानिंग एरिया जो नगरपालिका की सीमा से लगा हुआ हो".

(दो) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जावे,

"सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा घोषित प्लानिंग एरिया जो नगरपालिका सीमा से लगा हुआ हो, अथवा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जो किसी नगरपालिक निगम की सीमा में आता है की स्थिति में नगरपालिक आयुक्त तथा ऐसा नगरपालिक क्षेत्र जो किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा में आता है, कि स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)".

2. नियम 3 में,—

(एक) उपनियम (1) में शब्द "ऐसा कालोनाइजर जो किसी नगरपालिक क्षेत्र में" के स्थान पर, शब्द "ऐसा कालोनाइजर जो किसी नगरपालिक क्षेत्र जिसमें सम्मिलित होगा नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा घोषित ऐसा प्लानिंग एरिया जो नगरपालिका सीमा से लगा हुआ हो में," स्थापित किया जावे.

(दो) उपनियम (2) के खण्ड (एक) में शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका कोष", प्रतिस्थापित किया जावे.

(तीन) उपनियम (3) में शब्द "[illegible]" व शब्द "बैंक" के बीच में, शब्द "को" के स्थान पर "तथा", प्रतिस्थापित किया जावे.

(चार) उपनियम (4) में शब्द "देना" के स्थान पर शब्द "लेना" प्रतिस्थापित किया जावे.

3. नियम 5 में,—

(एक) खण्ड (ङ) को खण्ड (च) और उसमें सम्मिलित अंक "13" को "14" किया जावे.

(दो) खण्ड (च) को खण्ड (ङ) किया जावे.

4. नियम-8 के उपनियम (1) में, शब्द "आवेदन पत्र" के बाद शब्द "पांच प्रतियों में", जोड़े जावे.

5. नियम 12 के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे—

(एक) कालोनाइजर द्वारा विकसित किये जाने वाले यथा स्थिति भू-खण्डों या भवनों या पलेट्स में से कमजोर आय वर्ग के लिये सुरक्षित रखे गये यथा स्थिति भूखण्डों या भवनों या पलेट्स को छोड़कर शेष के पच्चीस प्रतिशत की संख्या में यथास्थिति भू-खण्ड या भवन या पलेट्स संबंधित नगरपालिका के पास बंधक रखना होगा, जो नियम 13 के उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए कालोनी का [illegible] विकास कार्य पूर्ण होने पर बंधनमुक्त किये जावेंगे तथा विक्रय हेतु कालोनाइजर को उपलब्ध [illegible] [illegible] गये भू-खण्ड [illegible] पलेट्स के क्रमांकों की सूचना सक्षम प्राधिकारी [illegible] [illegible] की जानकारी के लिए [illegible] [illegible] [illegible] को भी भेजी जावेगी.

6. प्ररूप दो में, अंक "[illegible]" के स्थान पर अंक "[illegible]" "निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन" तथा अंक "[illegible]" के स्थान पर अंक "1998", प्रतिस्थापित किया जावे.

7. प्ररूप तीन में अंक "11" के स्थान पर [illegible] प्रतिस्थापित किया जावे.

8. प्ररूप चार में—

(एक) सरल क्रमांक 2 में शब्द "क्रमांक" के स्थान [illegible] "का क्रमांक एवं दिनांक", प्रतिस्थापित किया [illegible]

(दो) सरल क्रमांक 10(6) में अंक "11" के स्थान [illegible] "12", प्रतिस्थापित किया [illegible]

(तीन) शब्द "[illegible]" के स्थान पर "चिह्न" तथा शब्द [illegible] "[illegible]", प्रतिस्थापित किया [illegible]

9. प्ररूप पांच में, अंक "11" के स्थान पर अंक "12" "निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन", अंक "[illegible]" [illegible] पर अंक "1998" तथा शब्द "नगर भूमि सीमा [illegible] नियंत्रण" के स्थान पर शब्द "शहरी भूमि सीमा अधिनियम", [illegible] किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार [illegible] [illegible] अनुसार, [illegible]

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुज्ञप्ति अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. 2 डब्ल्यू. पी./505/98

रजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122/98

मध्यप्रदेश शासन पत्रिका

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529] भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर 1998—भाद्र 30, शके 1920

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1998

क्र. एफ. 1-44-98-अठारह-3. — मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ङ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-ए, 339-ख, 339-ग एवं 339-ङ के साथ पठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये,—

"(द) कालोनी से अभिप्रेत है ऐसी कालोनी जहां भूखण्ड का विभाजन अथवा उपविभाजन करते हुए मूलभूत सेवाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, मल निकासी इत्यादि निवासियों को उपलब्ध करा दी गई है अथवा कराने की मंशा है, परन्तु ऐसे भू-खण्ड जिनका विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच किया जाता है वे इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे".

स्पष्टीकरण.—परिवार से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में यथापरिभाषित परिवार.

2. नियम 13 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यदि कालोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियां पाई जाती हैं तब ऐसी कमी या कमियों को दूर करने के लिए उक्त समय सीमा में एक बार प्राधिकारी द्वारा वृद्धि की जा सकेगी, जो अधिकतम एक वर्ष तक की कालावधि के लिए होगी".

3. नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14-क. **अवैध कालोनियों की सूची को सार्वजनिक किया जाना.**—सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से सर्वसाधारण को यह सूचित किया जावेगा कि नगर में जो कालोनियां वैध रूप से अनुमोदित हो चुकी हैं उनकी सूची नगर के अमुक-अमुक स्थलों पर देखी जा सकती है. सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर वैध कालोनियों की सूची सार्वजनिक करेगा."

4. नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"15-क. **दिनांक 30 जून, 1998 तक अस्तित्व में आई अवैध कालोनियों का नियमितीकरण.**—(1) इन नियमों में अंतावष्ट किसी बात के होते हुए भी दिनांक 30 जून 1998 तक अस्तित्व में आई अवैध कालोनियों का नियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा :—

(एक) ऐसी कालोनी अवैध कालोनी की श्रेणी में मानी जावेगी जो नगर तथा ग्राम निवेश, शहरी भूमि सीमा, भूमि व्यपवर्तन नजूल तथा नगरपालिका से वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कालोनाईजर द्वारा निर्मित कर ली गई हो.

(दो) मुख्य मार्ग, उद्यान, खेल के मैदान, सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र, नदी, तालाब या नाले के क्षेत्र में स्थित अवैध कालोनियों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा.

(तीन) ऐसी अवैध कालोनी का ही नियमितीकरण किया जाएगा जहां कम से कम पच्चीस प्रतिशत मकान निर्मित होकर उनमें निवास कर रहे हैं. जहां केवल भूखण्ड विद्यमान हैं, वहां नियमितीकरण की कार्यवाही इन नियमों के नियम 15 के अनुसार की जाएगी.

(चार) सक्षम प्राधिकारी जिस अवैध कालोनी के नियमितीकरण का कार्य हाथ में लेगा, उस कालोनी के संबंध में यह मान्य माना जाएगा कि उसकी भूमि का व्यपवर्तन हो चुका है. और उसका उपयोग नगर योजना के अनुरूप है.

(पांच) सक्षम प्राधिकारी अवैध कालोनी में भूलभूत नगरीय सेवाओं सहित विकास कार्य के लिए प्राक्कलन और अभिन्यास तैयार करवाएगा, जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित कालोनी के निवासियों के साथ बैठक आयोजित कर उनसे चर्चा की जाएगी और चर्चा में जो सुझाव होंगे उन पर विचार करते हुए प्राक्कलन और अभिन्यास को अंतिम रूप दिया जाएगा.

(छः) विकास कार्य पर संभावित व्यय की राशि संबंधित कालोनी के आवास/भूखण्ड धारकों से उनके स्वामित्व के आवास/भूखण्ड के आनुपात में विकास शुल्क के रूप में वसूल की जावेगी जिसकी दर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा.

(सात) आवास/भूखण्ड धारकों द्वारा विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में ऐसी राशि उनसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी.

(आठ) भूखण्ड/आवासधारकों से विकास शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सक्षम प्राधिकारी एक अलग बैंक खाते में जमा करेगा. इसी प्रकार जो राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जावेगी वह भी इसी खाते में जमा की जाएगी. इस खाते से विकर्षण केवल संबंधित कालोनी के विकास कार्य से संबंधित व्यय के आशय से ही सक्षम प्राधिकारी और कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जाएगा.

(नौ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास शुल्क की राशि का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा सकेगी.

(दस) अवैध कालोनी के नियमितीकरण की स्थिति में बाह्य विकास संबंधी नियम 2 के खण्ड (त) के साथ पठित नियम 12 के खण्ड (पांच) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे.

(ग्यारह) ऐसी अवैध कालोनी, जिसमें भवन निर्मित हो गए हैं, वहां संबंधित नगरीय निकाय ऐसे निर्माणों के लिए भवन स्वामियों से समझौता कर भवन निर्माण को विनियमित करेगा, परन्तु समझौते के लिए भूखण्डधारियों से कोई धनराशि नहीं ली जावेगी केवल भवन निर्माण अनुज्ञा फीस ही ली जावेगी.

(2) 30 जून, 1998 के पश्चात् यदि कोई अवैध कालोनी निर्मित होती है तब उसे अवैध निर्माण मानकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाने की कार्यवाही की जाएगी."

"15-ख. **अवैध कालोनी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना.**—अवैध कालोनी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति से वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही भी की जावेगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.